संख्या – 7379/आठ–1–06–31विविध/05

प्रेषक,

के.एल. मीना,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– आवास आयुक्त
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

2– उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

3– अध्यक्ष/जिलाधिकारी
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

4– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनाक : 20 नवम्बर, 2006**

विषय : उ.प्र. सूचना प्रौद्योगिकी नीति–2004 के प्रस्तर–10.1, प्रस्तर–10.6(III) तथा प्रसतर–10.7(एच) के अनुसार आई.टी. उद्योगों हेतु भूमि आवंटन में वरीयता, सेक्टर मूल्य से कम से कम 25 प्रतिशत कम दर पर भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में आर्थिक विकास के साधन के रूप में तथा जीवन की उच्चतर गुणवत्ता के साथ उच्च स्तरीय प्रौद्योगिक सम्पन्न समाज का सृजन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के निमित्त उ.प्र. सूचना प्रौद्योगिकी नीति–2004 लागू की गयी है। सूचना प्रौद्योगिकी नीति की रणनीति यह है कि उद्योगों को सुविधाएँ देकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा उद्योगों के विकास के माध्यम से आर्थिक प्रगति सुनिश्चित की जाये।

2– उपर्युक्त के दृष्टिगत शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स इकाईयों की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने एवं वरीयता के आधार पर आवंटित किया जाये तथा इन इकाईयों को सेक्टर मूल्य से कम से कम 25 प्रतिशत कम दर पर भूमि उपलब्ध करायी जाये।

3— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

के.एल. मीना

सचिव

संख्या — 7379(1)/आठ—1—06, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4— अपर निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, लखनऊ को इस आशय एवं निर्देश के साथ कि उक्त शासनादेश को विभाग की बेवसाइट पर उपलब्ध करा दें।

5— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी

अनु सचिव